




Order Sheet (Subsequent)

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दौसा, जिला दौसा (राज.)
प्रकरण सं.11-2021 उनवान: कैलाशचंद बनाम गौड सनाढ्य ब्राहमण
महासभा

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the order
	<p>25-11-2025</p> <p>अधिवक्ता उभयपक्षकारान उपस्थित।</p> <p>प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वाद पत्र पर सभी वादीगण के हस्ताक्षर नहीं हैं। अतः वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा को खारिज किया जावे।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि वादपत्र पर सभी वादीगण के हस्ताक्षर परिलक्षित नहीं हो रहे हैं। यह विषय वाद की विधिक वैधता से संबंधित एक महत्वपूर्ण पहलू है, अतः इस संबंध में वादीगण को सुनना न्यायोचित है।</p> <p>फलतः, सभी वादीगण को धारा 30 सीपीसी के तहत दिनांक 28-11-2025 को इस न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया जाए।</p> <p>अतः सभी वादीगण को धारा 30 सीपीसी के तहत दिनांक 28-11-2025 को इस न्यायालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी हो।</p> <p>वादीगण विवेकानंद व गिराज उपस्थित है। वे भी दिनांक 28-11-2025 को इस न्यायालय में उपस्थित रहे। पत्रावली वास्ते बहस दरखास्त आदेश 6 नियम 17 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी व उपस्थिति वादीगण दिनांक 28-11-2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> (रविकान्त सोनी RJS)</p>	<p>Brief note of compliance of the order</p> <p style="text-align: right;"> </p>